दिनांक 9.9.22 को पेश हो

9/9/22 आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा. कार्यों में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12.9.22 को पेश हो

12/9/22 आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा. कार्यों में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23.9.22 को पेश हो

23/9/22 आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7.10.22 को पेश हो।

7.10.22 अधिवक्तागण उपस्थित, पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर नत्थी किया गया, पत्रावली में स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत होने पर डिक्री जारी की जाती है, पत्रावली नथीबद्ध हो।

प्रमाणित प्रतिलिपि

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती अमिता बिश्नोई, प्रशिक्षु आर.ए.एस.

वाद संख्या 005/2022

अर्न्तगत धारा 88, 91, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

रीडर
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक श्रीगंगानगर

1. श्रवण माहर पुत्र स्व0 रायसाहब उर्फ ओमप्रकाश माहर जाति कुम्हार आयु करीब 44 साल निवासी रोहिड़ावाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुरेश माहर पुत्र स्व0 रायसाहब उर्फ ओमप्रकाश माहर जाति कुम्हार आयु करीब 30 साल निवासी बैंक कॉलोनी गली नं0 2 बालाराम नगर बठिंडा (पंजाब)। .... **वादीगण**

ब ना म

1. मैनावती देवी पत्नी स्व0 रायसाहब उर्फ ओमप्रकाश माहर जाति कुम्हार निवासी रोहिड़ावाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। ..**प्रतिवादीगण**

उपस्थित–	श्री गुरप्रीत सिंह सिद्धु	(वादीगण)
	श्री सीताराम सुथार	(प्रति. संख्या 1)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी– 2)

दिनांक : 07.10.2022

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण के पिता स्व0 रायसाहब उर्फ ओमप्रकाश पुत्र मनीराम कुम्हार के नाम से चक 1 पी बड़ी पटवार हल्का रोहिड़ावाली तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 51/51 मु0 नं0 17 की 1.974 है0 व मु0 नं0 44/11 की 0.050 है0 कुल 2.024 है0 खातेदारी दर्ज थी, जो कि उसके देहांत दिनांक 19.08.2009 के बाद उपरोक्त भूमि उसके वारिसान के नाम से दर्ज हुई जिसका विरासतन इंतकाल सं0 243/23.02.2010 को हुआ, इंतकाल की नकल शामिल है, इस प्रकार वादीगण का हर प्रकार से हक हिस्सा बना। प्रतिवादी सं0 1, वादीगण की सगी माता है तथा प्रतिवादी सं0 1 ने कहा कि चूंकि वह परिवार की मुखिया है इसलिए सम्पति उसके नाम लगवायी जावे जिस पर जरिये इंतकाल सं0 244 के उपरोक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम परिवार का मुखिया होने के नाते लगवायी गई जबकि कब्जा संयुक्त रूप से चला आया क्योंकि वादीगण की बहने विवाहित होने के कारण तथा उनकी शादियां इसी भूमि की आय से करने के कारण उनको स्त्रीधन के रूप में हक हिस्सा मिल गया था, अतः उपरोक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के संयुक्त रूप में काश्त करते रहे। कालांतर में सम्पति को लेकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के बीच मनमुटाव हो जाने के कारण बात पंचायत तक गई तथा पंचायत के सामने प्रतिवादी सं0 1 ने मौखिक पारिवारिक समझौता द्वारा यह तय किया कि वादी सं0 1 व 2 उपरोक्त भूमि में साढे तीन – साढे तीन बीघा भूमि रखे शेष 1 बीघा भूमि वह अपने पास रखेगी जो कि उसके बाद वादीगण को ही प्राप्त हो जावेगी, चूंकि प्रतिवादी सं0 1 के पास अन्य भूमि व संयुक्त हिन्दु परिवार की अन्य सम्पति जेवरात आदि होने से पंचायत के सामने मौखिक पारिवारिक समझौता के आधार पर वादीगण साढे तीन – साढे तीन बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त काने लगे तथा परिवार का जीवन यापन इसी भूमि की आय से करने लगे। वादीगण द्वारा भूमि में सुधार कार्य करवाया गया है मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम उपरोक्त भूमि खाता सं0 51/51 के रूप में खातेदारी दर्ज है, इस खाता की भूमि पर जो ऋण लिया गया था उसको ही वादीगण द्वारा चुकता किया गया तथा प्रतिवादी से बार–बार आग्रह किया गया कि वह मौखिक पारिवारिक समझौता के आधार पर उपरोक्त 8 बीघा भूमि में से साढे तीन–साढे तीन बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार मानकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जिस पर पहले तो प्रतिवादी सं0 1 आश्वासन देती रही कि करवा देगी मगर अब कुछ गलत लोगों के प्रभाव में आने के कारण टालमटोल करते हुए दिनांक 26.12.2021 को साफ इंकारी हो गई। उपरोक्त भूमि श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है अतः वाद वादीगण काबिल समाअत अदालतवाला है तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है। वाद वादीगण पेश करके अर्ज है कि वाद वादीगण, बहक वादीगण, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी किया जावे–

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
श्रीगंगानगर

प्रमाणित प्रतिलिपि

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 1 पी बड़ी पटवार हल्का रोहिडावाली तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 51/51 मु0 नं0 17 के किला नं0 13 ता 20 व मु0 नं0 44/11 की कुल 2.024 है0 में वादीगण को वाद पत्र में अंकित कारणों से प्रत्येक को साढे तीन–साढे तीन बीघा का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

दिनांक 07.02.2022 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत किया। वादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री गुरप्रीत सिंह सिद्धु के द्वारा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री सीताराम सुथार के द्वारा गई। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादीगण के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया। पंचायत व मिलने वालों ने पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवाया है जिसके तथ्यों के अनुसार चक 1 पी बड़ी पटवार हल्का रोहिडावाली तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 51/51 मु0 नं0 17 के किला नं0 13 ता 20 व मु0 नं0 44/11 की कुल 2.024 है0 में वादीगण को वाद पत्र में अंकित कारणों से प्रत्येक को साढे तीन–साढे तीन बीघा जैसा कि मौखिक पारिवारिक समझौता में तय हुआ था माना गया है जिसके वह खातेदार काश्तकार व हकदार है व मौके पर काबिज है, प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में 1 बीघा तय किया गया है क्योंकि प्रतिवादी सं0 1 को संयुक्त हिन्दु परिवार की अन्य सम्पति जेवरात आदि मिले हुए है, इस प्रकार उसकी हकरसी हो चुकी है। लिहाजा यह राजीनामा पेश है कि राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किया जाकर उपरोकत 8 बीघा भूमि में से प्रत्येक वादी को साढे तीन–साढे तीन बीघा का खातेदार घोषित किया जावे राजस्व रिकॉर्ड में प्रत्येक के नाम खातेदारी दर्ज कर लगान मामला कायम किया जावे व शेष 1 बीघा प्रतिवादी सं0 1 के नाम ही कायम रखा जावे।

दिनांक 15.02.202 को पैरोकार राज द्वारा ज़वाव राज्य पक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत वहस सुनी गई। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 07.02.2022 तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत वहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमावन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 51/51 व नामान्तरण संख्या 438, 153, 55, 56, 57 की प्रमाणित प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर भूमि पैतृक होना सिद्ध नहीं होता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति/राजीनामा के आधार पर वादीगण को चक 1 पी बड़ी पटवार हल्का रोहिडावाली तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 51/51 मु0 नं0 17 के किला नं0 13 ता 20 व मु0 नं0 44/11 की कुल 2.024 है0 में से प्रत्येक को साढे तीन–साढे तीन बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 01 को 1 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प की गणना करवाई जाकर वाद स्टाम्प राशि जमा करवाने के पश्चत् राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/वारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई वदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार डिक्री पर्चा हेतु स्टाम्प ड्यूटि प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07.10.2022 को जारी किया गया।

श्रीमती अमिता बिश्नोई
(प्रशिक्षु आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक श्रीगंगानगर

डिक्री

(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार मीना, आर.ए.एस.

वाद संख्या 005 / 2022

अर्न्तगत धारा 88, 91, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रवण माहर पुत्र स्व0 रायसाहब उर्फ ओमप्रकाश माहर जाति कुम्हार आयु करीव 44 साल निवासी रोहिड़ावाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुरेश माहर पुत्र स्व0 रायसाहब उर्फ ओमप्रकाश माहर जाति कुम्हार आयु करीव 30 साल निवासी बैंक कॉलोनी गली नं0 2 बालाराम नगर बठिंडा (पंजाब)। .... वादीगण

ब ना म

1. मैनावती देवी पत्नी स्व0 रायसाहब उर्फ ओमप्रकाश माहर जाति कुम्हार निवासी रोहिड़ावाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। ..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री गुरप्रीत सिंह सिद्धु (वादीगण)
श्री सीताराम सुथार (प्रति. संख्या 1)
पैरोकार राज़ (प्रतिवादी– 2)

दिनांक 10.10.2022

वाद संख्या 005 / 2022

अर्न्तगत धारा 88, 91, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री श्री गुरप्रीत सिंह सिद्धू व प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता श्री सीताराम सुथार एवं पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 02 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति / राजीनामा के आधार पर वादीगण को चक 1 पी बड़ी पटवार हल्का रोहिडावाली तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 51 / 51 मु0 नं0 17 के किला नं0 13 ता 20 व मु0 नं0 44 / 11 की कुल 2.024 है0 में से प्रत्येक को साढे तीन–साढे तीन बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 01 को 1 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प की गणना करवाई जाकर बाद स्टाम्प राशि जमा करवाने के पश्चत् राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. .....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.10.2022 को जारी की गयी.

मनोज कुमार मीना
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
कार्यालय सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प. वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर